जिला पंचायत कार्यालय,
कृषि अनुभाग,
दमण ।

सं.कृषिअनु./जि.प./दमण / मधुमख्खी /2013-14/111 दिनांक ४ /11/2013

कोटेशन नोटिस / निविदा सूचना

संघ प्रदेश जिला पंचायत, कृषि अनुभाग, दमण की ओर से बागवानी फार्म,मोटी दमण मे मधुमख्खी पालन निदर्शन यूनिट का आवश्यक सामान/सामग्री सहं प्रतिस्थापन/आपूर्ति करने के लिए व्यक्तियों/ एजन्सीयों / फार्मो /संगठनों से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं : विवरण संलग्न है ।

क्रम सं.	विवरण	जथ्था	EMDs
01	मधुपेटी (साग) एवं MS स्टेन्ड सह मधुमख्खी	15 set	NIL
02	सेहद निकालने का हाथ यंत्र (GI)	2 No.	
03	नेट/जाली (प्लास्टिक)	2 No.	
04	सुरक्षा नेट/जाली (plastic)	2 No.	
05	तपेला (एल्युमीनियम) (5 kgs.capacity)	2 No.	
06	प्लास्टिक बोटल (500 gms.Capacity)	50 Nos.	

निबंधन एवं शर्ते :-

1 रूचि रखनेवाले पक्षों को अपना प्रस्ताव अपनी दर /अपने पत्रशीर्ष या सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना चाहिए ।

2 दरों के अंतर्गत आवश्यक सामग्री,प्रतिस्थापन/आपूर्ति सह आदि सभी कर शामिल होने चाहिए तथा ये 180 दिन तक वैध होना चाहिए ।

3 रूचि रखनेवाले पक्षों के पास ऊपर उल्लेखित मद पर्यावरणहितैषी-, निदर्शन के अनुरूप एव स्टॉक मे होने चाहिए और विभाग द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी मांगे जाने पर आपूर्ति सह प्रतिस्थापन के लिए तैयार होने चाहिए । उक्त मद 31 मार्च 2014 को समाप्ती अवधी के दौरान एक या कइ अवसरो पर माँगे जा सकती है ।

4 उक्त मद विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए । विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर इन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा और आपूर्तिकर्ता को इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिस्थापित करना होगा ।

5 आपूर्ति किये जानेवाले मदों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।

6 मदों को प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाते मे भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का भुगतान आगे से नहीं किया जाएगा ।

7 उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक 26 /11/2013 को 3.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए और इन पर बड़े अक्षरो में " **मधुमख्खी निदर्शन यूनिट सह प्रति स्थापन हेतु निविदा** " लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो तो दिन मध्याहन बाद की उपस्थिति में उस ,04.00 बजे खोला जायेगा ।

8 इस नोटिस की निबंधन एवं शर्ते तथा इस संबंध मे इस कार्यालय द्वारा आगे नि र्धारित निबंधन एवं शर्ते भी रूचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजन के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।

9 किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा ।

10 इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालय प्राधिकारी के अधिकार / क्षेत्र के अधीन होगा ।

के. एस. चौहाण

(के. एस. चौहाण)
उप निदेशक (लेखा)/आ.स.अ.
जिला पंचायत, कृषि अनुभाग,
मोटी दमण।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण ।
2. निजी सचिव,अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ ।
3. सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित ।
4. जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी,सचिवालय,दमण को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
5. नोटिस बोर्ड / संबन्धित गार्ड फाइल ।